

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE : कोचिन COCHIN- 682009

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY No. 21 /2015

विषय : एसईजेड, आईसीडी आदि के लिए यानांतरण कारगो के गमनागमन के लिए प्रक्रिया में संशोधन- संबंधित
Sub : Modification in Procedure for movement of transhipment Cargo to SEZ, ICD etc- Reg.

‘एसईजेड ऑनलाइन के माध्यम से कारगो वितरण को सीमाशुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के साथ एकीकृत करने’ के संबंध में 2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 10 और आईसीटीटी से एसईजेड और आईसीडी आदि जैसे अन्य सीमाशुल्क स्टेशनों में यानांतरण अनुमतियां तैयार करने के संबंध में वर्तमान में लागू अन्य अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्तमान स्थिति में यानांतरण स्वीकृति के लिए व्यापार जगत को सीमाशुल्क गृह, कोचिन के आई एवं बी अनुभाग और सहायक आयुक्त (यानांतरण/ आई एवं बी) से संपर्क करना पड़ता है। इस संबंध में तर्कसंगत रुकावटों को दूर करने के लिए ऐसे सभी मामलों में जहां व्यापार जगत को अन्य पोर्टों, आईसीडी, एसईजेड आदि के लिए यानांतरण का अनुमोदन प्राप्त करना हो तो इसकी अनुमति वर्तमान में सीएफएस, जीडीकेएल, वल्लारपाडम में तैनात सहायक आयुक्त (डोक्स/सीएफएस) प्रदान करेंगे। इस संबंध में यदि कोई कठिनाइयां हों तो उन्हें अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए।

Attention is invited to public Notice No. 10 of 2015 on “integration of Cargo Delivery through SEZ Online with Customs EDI System” and other instruction in force with respect to generation of transhipment permits for movement of cargo from ICTT to SEZ and other Customs Station like ICDs etc. In the present scenario, the trade has to approach I&B Section and AC (Transhipment / I&B), at Custom House, Cochin for transhipment approval. To ease the logistical hurdles in this regard in all the cases where the trade needs to obtain transhipment permits to other ports, ICD, SEZ etc the same shall be granted by AC (Docks/CFS) presently stationed at CFS, GDKL, Vallarpadam, Difficulties, if any in this regard may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(डॉ. के. एन. राघवन/Dr. K. N. RAGHAVAN)

सीमाशुल्क आयुक्त/COMMISSIONER OF CUSTOMS

फ़ा.सं. F.No.C1/01/2015 TU Cus.

तारीख Dated: 21.09.2015

//अनुप्रमाणित ATTESTED//

//  //

मूल्य निरूपक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

प्रतिलिपि Copy to:

1. The Chief Commissioner's Office, Cochin
2. Commissioner's file/JCs/All DCs & ACs/Development Commissioner (CSEZ)/
3. All CFSs
4. All Sections
- ✓ 5. EDI Section for uploading on Website of Cochin Customs
6. The Chairman, Cochin Port Trust
7. Managing Director, Cochin International Airport Ltd.
8. The Cochin Custom House Agent's Association
9. The Cochin Steamer Agent's Association
10. All Bank Managers as per list of authorized Banks w.e.f. 16.01.2012
11. Guard file
12. Notice Board